न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपीलः 05/2018

दायर दिनांकः 07.06.2018

निर्णय दिनांक 01.07.2019

—:अनवानः—

1. श्री जीवन सिंह पिता श्री भंवर सिंह राजपूत उम्र 45 वर्ष
2. श्री जगदीश सिंह पिता श्री भंवर सिंह राजपूत उम्र 40 वर्ष
3. श्री राजेन्द्र सिंह पिता श्री भंवर सिंह राजपूत उम्र 38 वर्ष

(मृतक भंवर सिंह पिता उदय सिंह के विधिक वारिस)

निवासीयान घोसुण्डी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार साहब, नायब तहसील सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ के मुकदमा नम्बर 89/2017 ना0क0 निर्णय दिनांक 10.10.2017 बअनवान सरकार बनाम भंवर सिंह वगैराह

उपस्थित :—

1— श्री आर.एल. रावत, अधिवक्ता अपीलांट

2— पेरोकार सरकार

—::निर्णयः::—

अपीलार्थी ने उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा दिनांक 10.10.2017 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.06.2018 को दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

पटवारी हल्का घोसूण्डी के द्वारा उप तहसीलदार, सरदारगढ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम घोसूण्डी तहसील आमेट के आराजी नम्बर 472 रकबा 2.6700 हैक्टर किस्म चारागाह मे से 0.05000 हैक्टर भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अतः इसके विरूद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कराना फरमावें। उक्त रिपोर्ट पर उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 10.10.2017 को अपीलांट का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखली व शास्ति स्वरूप 50 रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है जो कि कानूनन नियमन योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश खारीज किये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य होना प्रमाणित है। मौके पर मकान बना हुआ है। अपीलांट के पिता के नाम पर भी धारा 91 की कार्यवाही चली थी। अपीलांट के पास इसके अलावा रहने का कोई और साधन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर उक्त मामले मे नहीं दिया है। प्रकरण नियमन योग्य है। जिस पर विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे को नियमन करने के लिए निर्देश जारी कर रखे है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जो नियमन योग्य नहीं है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम घोसूण्डी तहसील आमेट के आराजी नं0 472 किस्म चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पुर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश न कर चारागाह भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म चारागाह है। जो कि नियमन योग्य नहीं है। चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है और न ही ऐसा कोई प्रावधान बताया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ के द्वारा दिनांक 10.10.2017 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार, सरदारगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से 01 माह में अपीलांट का कंब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द